अध्याय - 1

परिचय

अध्याय - 1

परिचय

1.1 परिचय

उत्तराखण्ड के परिवहन विभाग को दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया गया है- परिचालन[1] शाखा एवं नियामक शाखा। राज्य परिवहन आयुक्त (एस टी सी) की अध्यक्षता में नियामक शाखा सभी नीतिगत प्रकरणों और लागू अधिनियमों[2] एवं नियमों[3] के प्रशासन को देखती है। यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा केवल विभाग के नियामक शाखा से संबंधित है जो सम्भागीय परिवहन कार्यालयों (आर टी ओ)/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों (ए आर टी ओ) के माध्यम से की गई है।

वाहनों के पंजीकरण, परमिट, वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र और मोटर वाहन करों के संग्रह से संबंधित कार्य वाहन-4.0 एप्लिकेशन (जून 2015) के माध्यम से किए जाते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने और लाइसेंस के नवीनीकरण से संबंधित कार्य सारथी-4.0 एप्लिकेशन (जून 2015) के माध्यम से किये जाते है। 2019-24 की अवधि के दौरान जारी किए गए लाइसेंसों, वाहनों के पंजीकरण, परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र की संख्या नीचे **चार्ट-1.1** में दर्शाई गई है:

चार्ट-1.1: 2019-24 की अवधि के दौरान जारी किए गए लाइसेंसों, वाहनों का पंजीकरण, परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्रों की संख्या

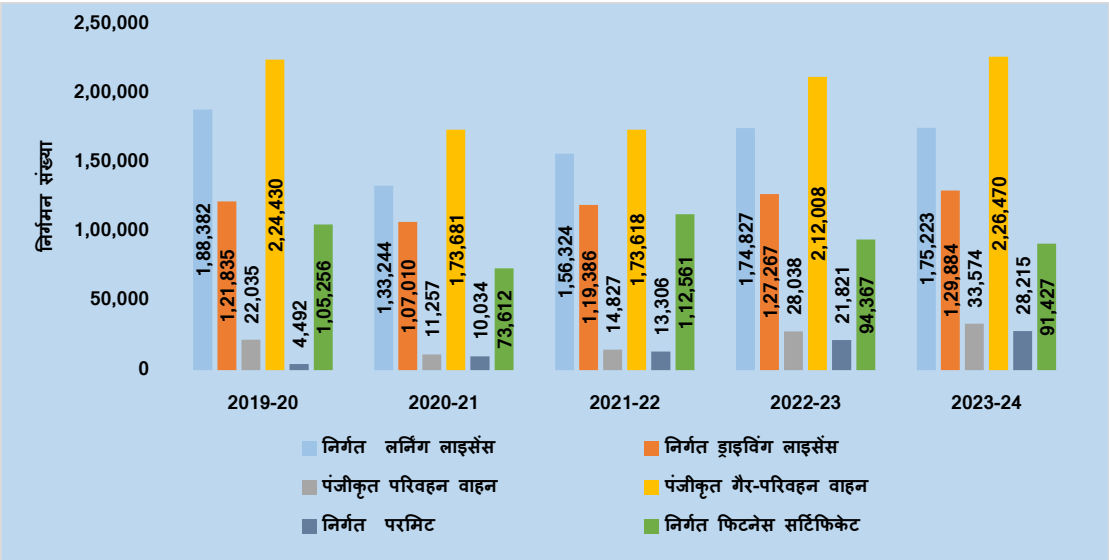

---

1 परिचालन शाखा में उत्तराखण्ड परिवहन निगम सम्मिलित है, जो राष्ट्रीयकृत मार्गों के साथ-साथ अंतर्राज्यीय मार्गों पर सेवाएँ प्रदान करता है।

2 मोटर यान अधिनियम, 1988 और उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003।

3 केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989; उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार नियम, 2003; एवं उत्तराखण्ड मोटर वाहन नियम, 2011।

1.2 संगठनात्मक संरचना

प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन, परिवहन विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है। उन्हें परिवहन आयुक्त (टी सी) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो राज्य परिवहन प्राधिकरण के सभापति भी हैं। परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग का प्रमुख होने के नाते, राज्य में आर टी ओ के समग्र कामकाज के लिए उत्तरदायी है। उन्हें अपर परिवहन आयुक्त/संयुक्त परिवहन आयुक्त, तीन उप-परिवहन आयुक्त और एक सहायक परिवहन आयुक्त द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। आर टी ओ के नेतृत्व में चार सम्भाग[4] और ए आर टी ओ के नेतृत्व में 16 उप सम्भाग[5] के साथ राज्य में 20 प्रवर्तन दस्ते[6] हैं। आर टी ओ/ए आर टी ओ के कार्यालयों की अध्यक्षता आर टी ओ (प्रशासन)/ए आर टी ओ (प्रशासन) द्वारा की जाती है और प्रवर्तन संबंधी गतिविधियों के लिए आर टी ओ (प्रवर्तन)/ए आर टी ओ (प्रवर्तन) भी तैनात किए जाते हैं। मोटर यान अधिनियम, 1988, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 और उत्तराखण्ड मोटर वाहन नियम, 2011 सम्भागीय परिवहन कार्यालयों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को परिभाषित करते हैं। परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड सरकार (जी ओ यू) की संगठनात्मक संरचना नीचे दिये गये **चार्ट-1.2** में दर्शाई गई है और आर टी ओ के प्रमुख उत्तरदायित्व नीचे **चार्ट-1.3** में दिये गये हैं:

चार्ट-1.2: परिवहन विभाग की संगठनात्मक संरचना

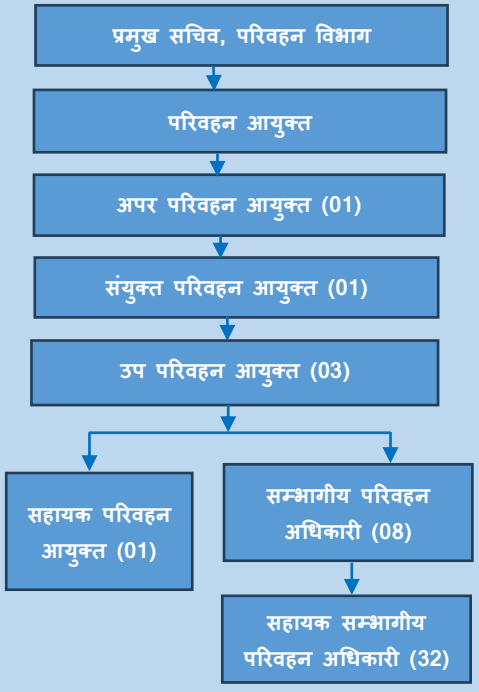

चार्ट-1.3: आर टी ओ के उत्तरदायित्व

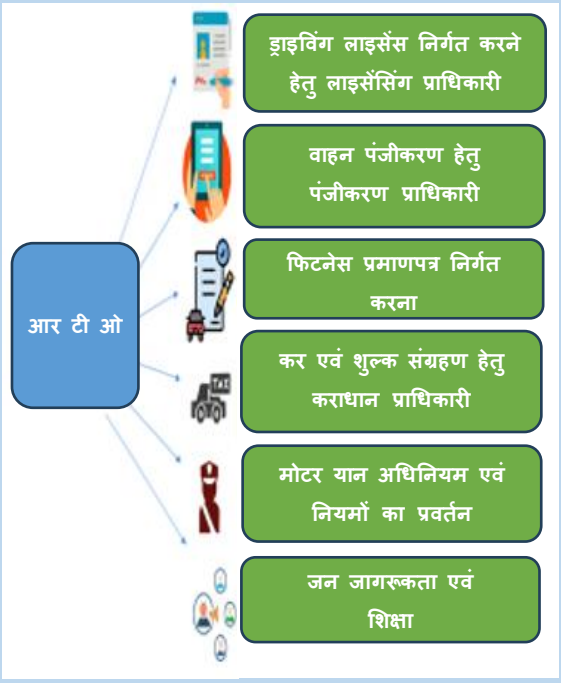

[4] देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा और हल्द्वानी।

[5] हरिद्वार, ऋषिकेश, टिहरी, उत्तरकाशी, विकासनगर, रुड़की, कोटद्वार, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, टनकपुर, ऊधम सिंह नगर, काशीपुर, रामनगर, पिथौरागढ़, बागेश्वर एवं रानीखेत।

[6] उपर्युक्त कार्यालयों (04 आर टी ओ+16 ए आर टी ओ) के अंतर्गत 20 प्रवर्तन दस्ते कार्यशील।

1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या:

1. आर टी ओ[7] द्वारा अधिनियम/नियमों के अनुसार पंजीकरण, परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के माध्यम से वाहनों के पंजीकरण और उपयोग पर विनियमन और नियंत्रण क्रियान्वित किया गया था;
2. आर टी ओ ने राजस्व (मोटर वाहन कर, जुर्माना, शास्तियाँ, उपकर आदि) का कुशलतापूर्वक आकलन, उद्ग्रहण, संग्रहण और प्रेषण किया तथा बकाया पर प्रभावी कार्रवाई की;
3. आर टी ओ अधिनियम/नियमों के अनुसार प्रभावी रूप से लाइसेंस जारी करने, नवीनीकृत करने और रद्द करने में सक्षम थे; एवं
4. उल्लंघनों को रोकने के लिए पर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई के साथ मोटर वाहन अधिनियमों/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आर टी ओ द्वारा प्रवर्तन गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित किया गया था। आर टी ओ को अधिदेश का निर्वहन करने के लिए आवश्यक जनशक्ति और उपकरण प्रदान किए गए थे।

1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड मुख्य रूप से निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- मोटर यान अधिनियम (एम वी अधिनियम), 1988;
- केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सी एम वी आर), 1989;
- उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003;
- उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार नियम, 2003;
- उत्तराखण्ड मोटर वाहन नियम, 2011;
- उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा अधिनियम, 2016;
- उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा निधि नियम, 2017; एवं
- सड़क परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाएँ।

---

[7] ए आर टी ओ, आर टी ओ के अधीन लाइसेंस निर्गत करने, पंजीकरण, परमिट, वाहनों की फिटनेस, करों और शुल्क के संग्रह और आर टी ओ के अंतर्गत प्रवर्तन गतिविधियों के लिए उत्तरदायी हैं।

1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

जुलाई 2024 से फरवरी 2025 के बीच परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड और परिवहन विभाग के 20 आर टी ओ/ए आर टी ओ में से चार आर टी ओ/ए आर टी ओ[8] के 2019-24 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। आर टी ओ/ए आर टी ओ का चयन आइडिया[9] सॉफ्टवेयर के माध्यम से आयोजित स्तरीकृत रैंडम सैंपलिंग को अपनाकर किया गया था। विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए दो-आयामी लेखापरीक्षा पद्धति का उपयोग किया गया था; एक वाहन-4.0 और सारथी-4.0 एप्लिकेशन का डाटा विश्लेषण है और दूसरा विश्लेषण किए गए डाटा का क्षेत्र में सत्यापन[10] है। लेखापरीक्षा के परिणामों पर पहुँचने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित किए गए एवं उनका विश्लेषण किया गया। 25 जुलाई 2024 को सचिव, परिवहन विभाग, जी ओ यू के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। बहिर्गमन गोष्ठी 25 जुलाई 2025 को अपर सचिव, परिवहन विभाग, जी ओ यू के साथ आयोजित की गई थी। राज्य सरकार से उत्तर 01 अगस्त 2025 को प्राप्त हुए थे। राज्य सरकार के उत्तरों को सम्बन्धित प्रस्तरों में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

1.6 वित्तीय स्थिति

परिवहन विभाग परिवहन विभाग के 'मुख्य लेखाशीर्ष 0041- वाहनों पर कर' और 'मुख्य लेखाशीर्ष 1055- विभागीय प्राप्तियों के अंतर्गत राजस्व एकत्रित करता है। प्राप्त राशि को कोषागार में जमा किया जाता है और विभाग अपने व्यय को वहन करने के लिए निधि बजट आवंटन के माध्यम से प्राप्त करता है।

1.6.1 वाहनों पर करों का संग्रहण

'मुख्य लेखाशीर्ष 0041- वाहनों पर कर' के अंतर्गत प्राप्तियों में कर, शुल्क, जुर्माना और शास्तियाँ सम्मिलित हैं। वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान वाहनों पर कर से विभाग की वास्तविक प्राप्तियाँ नीचे दी गई **तालिका-1.1** में दर्शाई गई है:

---

[8] आर टी ओ, देहरादून; आर टी ओ, अल्मोड़ा; ए आर टी ओ, ऊधम सिंह नगर; और ए आर टी ओ, रुद्रप्रयाग।

[9] सक्रिय डाटा निष्कर्षण एवं विश्लेषण।

[10] प्रत्येक तालिका के लिए तीस प्रकरण; सत्यापन जनवरी एवं फरवरी 2025 में किया गया।

तालिका-1.1: वाहनों पर करों से प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वित्त लेखों के अनुसार मुख्य लेखाशीर्ष 0041 के अंतर्गत प्राप्तियाँ	राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ	कुल राजस्व में वाहनों पर करों का प्रतिशतता में योगदान
1	2	3	4
2019-20	907.80	30,722.57	2.95
2020-21	741.00	38,204.36	1.93
2021-22	889.02	43,056.99	2.06
2022-23	1,211.55	49,082.70	2.47
2023-24	1,389.67	50,615.01	2.75

स्रोत: जी ओ यू के वित्त लेखा।

तालिका-1.1 दर्शाती है कि 2020-21 (कोविड-19 लॉकडाउन के कारण) में प्राप्तियों में कमी आई और 2021-22 से 2023-24 तक अत्यधिक वृद्धि हुई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान कुल राजस्व प्राप्ति के *प्रतिशत* के रूप में मोटर वाहन कर 2.95 *प्रतिशत* से घटकर 2.75 *प्रतिशत* हो गया। हालांकि, इसी अवधि के दौरान मोटर वाहन कर में 53.08 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

1.6.2 संग्रह की लागत

2019-24 के दौरान परिवहन विभाग के 'मुख्य लेखाशीर्ष 0041- वाहनों पर कर' के अंतर्गत प्राप्तियों के संग्रह पर किए गए व्यय का *प्रतिशत* नीचे **तालिका-1.2** में दर्शाई गई अवधि के दौरान संग्रह की लागत में वृद्धि को दर्शाता है:

तालिका-1.2 संग्रह की लागत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	संग्रह की लागत (संग्रह के सापेक्ष व्यय का *प्रतिशत*)
1	2	3	4
2019-20	907.80	38.76	4.27
2020-21	741.00	41.18	5.56
2021-22	889.02	43.71	4.92
2022-23	1,211.55	53.17	4.39
2023-24	1,389.67	62.75	4.52

स्रोत: जी ओ यू के वित्त लेखा।

1.7 आभार

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रदान किए गए समग्र सहयोग तथा सहायता हेतु आभार प्रकट करता है।

1.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के आधार पर आर टी ओ के क्रियाकलाप का विश्लेषण किया गया है। उद्देश्यवार निष्कर्षों पर निम्नलिखित चार अध्यायों में चर्चा की गई है:

अध्याय - 2 : वाहनों के पंजीकरण और उपयोग पर नियंत्रण एवं विनियमन;

अध्याय - 3 : राजस्व संग्रह;

अध्याय - 4 : लाइसेंस का निर्गमन, नवीनीकरण एवं निरस्तीकरण; तथा

अध्याय - 5 : प्रवर्तन गतिविधियाँ एवं मानव संसाधन प्रबंधन।